(19)

संख्या बी–3–3065/दस–2000–4(1)/86 अनु०नि०

प्रेषक,

डा० ब्रज मोहन जोशी,
सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीश
एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनांकः 30 अगस्त, 2000

विषयः— सेवाकाल के दौरान मृत राजकीय कर्मचारियों के आश्रितों को उ०प्र० अनुकम्पा निधि से आर्थिक सहायता।

महोदय,

वित (आय–व्ययक) अनुभाग–3

उपयुक्त विषयक शासनादेश संख्या बी-3-7178/दस-96-4(1)/86-अनु०नि० दिनांक 20 मार्च, 1997 जिसमें सेवाकाल के दौरान मृत राजकीय कर्मचारियों के आश्रितों को उ०प्र० अनुकंम्पा निधि से आर्थिक सहायता विषयक संशोधित नियमावली तथा निर्धारित प्रार्थना-पत्र का प्रारूप आपको भेजा गया था, की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कदाचित अभी भी विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को अनुकम्पा निधि से अनुमन्य आर्थिक सहायता के विषय में पर्याप्य जानकारी नहीं है।

अतः नियमावली की एक संशोधित प्रति पुनः प्रेषित करते हुए आपसे अनुरोध है कि कृपया इससे संबंधित नियमों से अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत कराने का कष्ट करें तथा अपनी सुस्पष्ट पूर्ण आख्या / संस्तुति सहित प्रशासकीय विभाग के माध्यम से शासन के विचारार्थ निर्धारित समय के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक :—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
डा० ब्रज मोहन जोशी,
सचिव।

संख्या बी–3–3065(1)/दस–2000–4(1)/86–अनु०नि०, तददिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1—महालेखाकार, प्रथम/द्वितीय (लेखा) उ०प्र०, इलाहाबाद।
2—महालेखाकार, प्रथम/द्वितीय (आडिट), उ०प्र०, इलाहाबाद।
3—सचिवालय के समस्त अनुभाग।
4—विधान सभा /विधान परिषद, सचिवालय।
5—राज्यपाल सचिवालय।
6—निबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

आज्ञा से,
हिमांशु कुमार,
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि नियमावली

उद्देश्य

1—अनुकम्पा निधि का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के राजस्व से वेतन पाने वाले राज्य कर्मचारियों के उन परिवारों को सहायता करना है जो ऐसे व्यक्ति की, जिस पर वे पालन पोषण के लिए निर्भर थे, असामयिक मृत्यु के कारण निर्धनावस्था में पड़ गये हैं।

टिप्पणीः—इस नियम के प्रयोजनार्थ शब्द "परिवार" में मृत सरकारी कर्मचारी के निम्नलिखित सम्बन्धियों में से केवल वे ही सम्मिलित माने जायेंगें जो मृत्यु के समय उस पर पूर्णतया आश्रित थे—पत्नी, पति,वैध संतान, सौतली संतान, पिता और माता। संतान की अधिकतम संख्या दो तक सीमित रहेगी। अविवाहित पुत्री तथा बेरोजगार पुत्र की दशा में अधिकतम आयु सीमा पारिवारिक पेंशन हेतु अर्हता के अनुरूप 25 वर्ष रहेगी। पत्नी को छोड़कर पति अथवा संतान के सेवायोजन की स्थिति में वे (पति/संतान) आश्रित नहीं माने जायेंगे। अतः उनके द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर विचार नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 25 वर्ष से अधिक आयु के संतान भी मृतक आश्रित नहीं माने जायेंगे।

निधि की वार्षिक धनराशि

2—निधि की वार्षिक अनुदान की अधिकतम धनराशि 80 लाख रुपये होगी। इस निमित्त प्रत्येक वर्ष के आय-व्ययक में आवश्यकतानुसार प्राविधान उपर्युक्त अधिकतम सीमा तक कराया जा सकेगा।

निधि का प्रशासन

3—सरकार ने इस निधि के प्रशासन एवं सरकार को परामर्श देने के लिए "उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि समिति" नामक एक समिति नियुक्त की है। प्रमुख सचिव, वित्त अथवा वित्त सचिव इस समिति के अध्यक्ष होंगे तथा चार सदस्य और होंगे जिनमें सरकार के गृह, आवास, नगर विकास और राजस्व विभाग के सचिव अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव होंगे। वित्त विभाग का कोई उप सचिव या उससे उच्च स्तर का अधिकारी समिति का पदेन सचिव होगा।

निधि से आनुतोषिक हेतु पात्रता

4—जब तक अन्यथा कार्यवाही की न्यायोचित ठहराने वाली आपवादिक परिस्थितियां न हो तब तक समिति ऐसे मामलों में निधि से अनुदान देने की सिफारिश साधारणतया स्वीकार नहीं करेगी जिनमें :—

(1) मृत कर्मचारी ने एक वर्ष से कम सरकारी सेवा की हो, और

(2) आनुतोषिक हेतु प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र कर्मचारी की मृत्यु के 5 वर्ष पश्चात् दिया गया हो।

आनुतोषिक स्वीकृत की प्रक्रिया

5—मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार द्वारा एक प्रार्थना-पत्र निर्धारित प्रपत्र में उन कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जायेगा जिसके अधीन मृत कर्मचारी अन्तिम समय कार्यरत रहा हो। परिवार द्वारा प्रार्थना-पत्र के प्रथम भाग में अपेक्षित सम्पूर्ण सूचना कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को उपलब्ध कराई जायेगी। कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष प्रार्थना-पत्र के भाग—2 में अपेक्षित सूचना सावधानीपूर्वक भरकर प्रार्थना-पत्र को शासन के संबंधित प्रशासनिक विभाग को प्रेषित करेंगे। नियमावली के प्राविधानों के अनुसार प्रस्ताव का परीक्षण करके प्रशासनिक विभाग सभी संबंधित अभिलेख तथा प्रार्थना-पत्र के भाग--3 में अपनी संस्तुति सहित संक्षिप्त टिप्पणी, जिसमें मामले के पूरे तथ्य स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो, वित्त विभाग को सात प्रतियों में प्रस्तुत करेंगे। वित्त विभाग टिप्पणी को समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करेगा।

समिति की बैठक

6—(1) समिति की बैठक प्रत्येक वर्ष आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाई जा सकती है और आवश्यकता पड़ने पर किसी एक वर्ष में कई बैठकें बुलाई जा सकती हैं।

(2) समिति नियम—7 में उल्लिखित न्यूनतम और अधिकतम सीमाओं के अधीन रहते हुए निधि से आनुतोषिक प्रदान किये जाने के संबंध में प्रत्येक मामले में विचार करके अपनी संस्तुति सरकार को प्रस्तुत करेगी।

आनुतोषिक धनराशि

7—किसी एक व्यक्ति के मामले में देय आनुतोषिक की न्यूनतम राशि 20,000 रुपये तथा अधिकतम 75,000 रुपये होगी। ठीक-ठीक राशि सभी मामलों में परिवार के सदस्यों की संख्या और मामले की आवश्यकतानुसार निश्चित की जायेगी। साधारणतया दिनांक 1 जनवरी, 1996 से पूर्व के प्रकरणों में मृतक के एक आश्रित होने पर मृतक के अन्तिम मूल वेतन के पांच गुने के बराबर और अधिकतम 5 आश्रित होने पर 25 माह के मूलवेतन के बराबर धनराशि तथा दिनांक 1 जनवरी, 1996 के बाद के प्रकरण में पुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर मृतक एक आश्रित होने पर मृतक के अन्तिम मूलवेतन के 2 गुने के बराबर और अधिकतम 5 आश्रित होने पर 10 गुने के मूलवेतन के बराबर धनराशि उपरोक्त नियमावली में निहित न्यूनतम और अधिकतम सीमा के अन्तर्गत स्वीकृत की जायेगी। यदि किसी प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किसी अन्य फण्ड से कोई आर्थिक सहायता अनुकम्पा के रूप में दी गई हो तो निधि से नियमानुसार अनुमन्य सहायता की राशि में से प्रकरणों में अनुमन्य धनराशि से अधिक धनराशि अन्य फण्ड से स्वीकृत की गई है उनके सामान्यतया निधि से सहायता स्वीकृत नहीं की जायेगी।

समिति की संस्तुतियों पर अग्रिम कार्यवाही

8—सरकार का वित्त विभाग समिति की संस्तुतियों पर विचार करेगा और वित्त मंत्री के अनुमोदन से आवश्यक निर्णय लेकर आदेश जारी करेगा। आदेशों की प्रति सम्बन्धित विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष तथा महालेखाकार को भी यथारीति भेजी जायेगी। प्रत्येक मामले में स्वीकृत धनराशि का प्रत्येक लाभार्थी के नाम अलग-अलग बैंक ड्राफ्ट वित्त विभाग द्वारा बनाकर सीधे संबंधित कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से लाभार्थी को उपलब्ध कराया जायेगा। कार्यालयाध्यक्ष बैंक ड्राफ्ट को संबंधित लाभार्थी को उपलब्ध कराके उसकी पावती रसीद शीघ्रातिशीघ्र वित्त विभाग को उपलब्ध करा देंगे और इसकी सूचना विभागाध्यक्ष तथा प्रशासनिक विभाग को भी भेजेंगे। बैंक ड्राफ्ट भेजने की तिथि से एक माह के अन्दर यदि कार्यालयाध्यक्ष द्वारा संबंधित लाभार्थी से पावती रसीद प्राप्त करके वित्त विभाग को उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो यह उत्तरदायित्व संबंधित प्रशासकीय विभाग का होगा कि वे संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा लाभार्थी को धन उपलब्ध कराकर पावती रसीद को वित्त विभाग को समय से न उपलब्ध करा पाने के कारणों की जानकारी प्राप्त करके विलम्ब के लिये दोषी व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करें तथा कार्यालयाध्यक्ष से वांछित पावती रसीद यथाशीघ्र करके वित्त विभाग को उपलब्ध करा दें।

आगणन की कार्यवाही

9—अनुकम्पा निधि से देय धनराशि का आगणन विभागाध्यक्ष स्तर पर वित्त नियंत्रक द्वारा तथा शासन स्तर पर प्रशासकीय विभाग के आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए प्रशासकीय विभाग स्वयं उत्तरदायी होंगे।

साधारण शर्तें

10—निधि से स्वीकृत किये जाने वाली आनुतोषिक की विनियात्कम शर्तें निम्नलिखित हैं :—

(1) अन्य बातों के रहते हुये ऐसे मामलों में वरीयता दी जानी चाहिए जिनमें मृत कर्मचारी कम वेतन पाते रहे हों।

(2) ऐसे सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिनकी मृत्यु कर्तव्य पालन करते हुए होती है और जिन्हें अलग से आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान दूसरे विभागीय नियमों/आदेशों में है, के मामलों में इस निधि से साधारणतया सहायता नहीं दी जायेगी।

(3) निधि से दिये जाने वाले अनुदान आपवादिक प्रकार के मामले तक सीमित रहते हैं।

(4) ऐसी मृत्यु जो कर्तव्य के प्रति विशेष निष्ठावन रहने के कारण हुई हो, अनुदान दिये जाने के प्रश्न पर विचार किये जाने की मांग बलवती हो जाती है।

(5) साधारण मामलों में उन कर्मचारियों/अधिकारियों के परिवार को वरीयता दी जानी चाहिए जो अनेक वर्षों तक सेवा कर चुके हैं किन्तु अपनी पेंशन प्राप्त नहीं कर पाये हैं।

(6) साधारणतया ऐसे सरकारी कर्मचारियों के मामले पर जिनकी सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु होती है, निधि से सहायता देने के विचार नहीं किया जायेगा, किन्तु ऐसे आपवादिक मामलों में अनुदान दिये जा सकते हैं जिनमें सरकारी कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति होने के छः माह के भीतर मृत्यु हो जाये और वह अपने परिवार के लिए व्यवस्था न कर सका हो परन्तु अनुदान अत्यन्त आपवादिक परिस्थितियों में ही दिये जायेंगे। उदाहरणार्थ ऐसी परिस्थितियों में जिनमें सरकारी कर्मचारी को रोगवश सेवा के अयोग्य करार दे दिया गया हो और वह उसके बाद ही मर गया हो और अपनी बीमारी के कारण अपने परिवार के लिए कोई व्यवस्था न कर सका हो तथा परिवार को निराश्रित छोड़ गया हो।

(7) इस बात की सावधानी बरतनी चाहिए कि उन कर्मचारियों/अधिकारियों के परिवारों को बहुत अधिक अनुदान न दिये जायं जो सरकार के मुख्यालय में काम करते रहे हों।

(8) निधि से कोई पेंशन न दी जाय।

(9) निधि से प्रत्येक मामले में एक से अधिक आनुतोषिक न दिया जाय।

(10) पुत्रियों के विवाह के लिए निधि से किसी प्रकार का दहेज नहीं दिया जायेगा।

उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि से अनुदान हेतु प्रार्थना-पत्र का प्रारूप

भाग–1

आवेदक द्वारा भरा जायेगा

1–मृत राज्य कर्मचारी का नाम तथा पद नाम ....

2– कार्यालय का पता जहां मृत्यु के समय वह कार्यरत थे ....

3–मृत्यु का कारण ....

4–मृत्यु की तारीख

(आवेदक के सम्बन्ध में विवरण)

5–आवेदक का पूरा नाम तथा मृतक से सम्बन्ध ....

6–निवास स्थान का पूरा पता–

(क) स्थायी ....

(ख) पत्र व्यवहार का पता ....

7–आवेदक के पहचान के चिन्ह ....

8–आवेदक का वर्तमान धन्धा एवं मासिक आय तथा परिवार की आर्थिक स्थिति ....

9–मृतक द्वारा छोड़ी गई चल/अचल सम्पत्ति तथा उससे सम्भावित वार्षिक आय ....

10–मृतक ने यदि कोई व्यक्तिगत बीमा कराया था तो उसकी धनराशि तथा प्राप्ति की तिथि/स्थिति ....

11–उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि से प्रार्थित अनुदान की राशि ....

12–भुगतान का स्थान ....

भाग–3

प्रशासनिक विभाग की संस्तुति

शासन का यह विभाग.....(विभागाध्यक्ष की संस्तुति को ध्यान में रखते हुए) समुचित विचारोपरान्त स्वर्गीय श्री.....के परिवार का उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि से केवल रुपये.....की आर्थिक सहायता स्वीकृत किये जाने के औचित्य से सहमत है और तदनुसार सहायता की संस्तुति करता है।

प्रमाणित किया जाता है कि विभागीय कर्मचारियों की मृत्यु की दशा में उनके परिवार को सहायता देने के लिये इस विभाग के अधीन कोई और विभागीय निधि नहीं है.....निधि है जिसमें से स्वर्गीय श्री..... के परिवार को .....रुपये की सहायता स्वीकृत कर दी गई है/स्वीकृत किये जाने की संम्भावना है।

( )

प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन
.....विभाग